न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

सल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
/ रेफरेन्स / 15	07.09.2015	31.03.2021

सरकार जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी। –प्रार्थी

बनाम

मोहन लाल आ0 रामा जाति माली निवासी दलेलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी। –अप्रार्थी

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से पेरोकार सरकार
रेस्पो0 की ओर से श्री भंवरलाल गुर्जर एवं श्री रणवीर सिंह एड0

निर्णय

यह रेफरेन्स तहसीलदार हिण्डोली द्वारा भूमि खसरा संख्या 20 में से 4 बीघा आवंटन दिनांक 25.11.1975 बहक मोहन आ0 रामा जाति माली निवासी दलेलपुरा तहसील हिण्डोली को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं। प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सख्या 20 में से 4 बीघा वाके ग्राम जयनिवास तहसील हिण्डोली दिनांक 25.11.1975 को मोहन आ0 रामा जाति माली निवासी दलेलपुरा तहसील हिण्डोली को आवंटन की गई थी। उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जाकाश्त नहीं हैं। अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो एवं नियमों की पूर्ण पालना नहीं की गई हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

अप्रार्थी के वकील ने दोहराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी को परामर्शदात्री समिति द्वारा मजमें आम में भूमि का आवंटन किया गया हैं। आवंटन के बाद अप्रार्थी को भूमि पर दखल दिया गया हैं। अप्रार्थी भूमि पर काबिज होकर लगातार काश्त करता चला आ रहा हैं। कब्जाकाश्त होने पर ही अप्रार्थी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। भूमि पर वर्तमान में भी अप्रार्थी का कब्जाकाश्त हैं। अतः प्रस्तुत कार्यवाही समाप्त कर आवंटन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थी को भूमि खसरा संख्या 20 में से 4 बीघा वाके ग्राम जयनिवास तहसील हिण्डोली का आवंटन दिनांक 25.11.1975 को किया गया हैं। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा यह कार्यवाही रेफरेन्स के रूप में आवंटन निरस्त हेतु

आवंटन राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 को किया गया हैं। जिसका आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम स्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत इए था ना कि रेफरेन्स के रूप में। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार हिण्डोली की रिपोर्ट दिनांक 28.01.2019 से उक्त आवंटित भूमि पर मोहन आ0 रामा जाति माली वासी दलेलपुरा तहसील हिण्डोली का कब्जाकाश्त वर्तमान में होना बताया हैं। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा एक तरफ आवंटन खारिज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं, दूसरी तरफ आवंटी के पक्ष में कब्जा होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं जो विरोधाभाषी हैं। आवंटन खारिज हेतु प्रार्थना पत्र 40 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया हैं। आवंटी राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज हैं। पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत् 2068 से 2071 में खातेदार द्वारा काश्त करना प्रमाणित हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स/प्रार्थना पत्र सारहीन होने से एतद द्वारा निरस्त किया जाकर अप्रार्थी को किया गया भूमि आवंटन आदेश दिनांक 25.11.1975 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलेक्टर,
बूंदी